06/12/022

पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 09 सीपीसी एवं धारा 151 सीपीसी की बहस उपरान्त पत्रावली आदेशार्थ पेश हुई। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 09 सीपीसी को स्वीकार करने हेतु निवेदन किया गया तथा अप्रार्थी सं0 58 के अधिवक्ता द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को भारी कोस्ट के साथ स्वीकार करने हेतु निवेदन किया गया। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में निम्नलिखित कानूनी दृष्टान्त पेश किया गया:–

RRD 14.09.2017 (Savitri vs L.Rs. Patram) Page no. 602

वकील उभयपक्षों की बहस व दस्तावेजों के आधार पर यह न्यायालय प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 09 सीपीसी एवं धारा 151 सीपीसी को 2000/- रूपये की कोस्ट पर स्वीकार कर मूल प्रार्थना पत्र को पुनः नम्बर पर लिया जाता है। प्रकरण में अप्रार्थी सं0 2 का जवाब शेष है, जिसे प्राप्त होने पर मूल प्रार्थना पत्र में शामिल किया जावे तथा मूल प्रार्थना पत्र मंगवाने हेतु जिला अभिलेखागार रिकार्ड शाखा कलेक्ट्रेट जयपुर को तहरीर जारी की जावे।

पत्रावली दर्ज नम्बर से कम होकर फैसल शुमार होकर मूल प्रार्थना पत्र के साथ हमफीता हो।

Manisha C.

सहायक कलक्टर (प्रशिक्षु)
जयपुर शहर प्रथम

Signature Not Verified
Digitally signed by Manisha Choudhary
Date: 2023.01.05 15:24:51 IST
Reason: SelfAttested